रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED NO. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 20, 1997 (भाद्रपद 29, 1919)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 20, 1997 (BHADRA 29, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	623
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	869
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1409
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	843
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1267
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ।	2951
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	293
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	623
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	869
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1409
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	346
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1267
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2931
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	293
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Notice not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1997

संकल्प

सं. 194(2)/97-एफ. सी.—भारतीय खाद्य निगम, जो सरकार की खाद्य नीतियों के कार्यनिष्पादन के प्रयोजनार्थ खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग में केन्द्रीय सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, संचलन, परिवहन, वितरण और बिक्री जैसे कार्य करना अपेक्षित है। 1975 से पूर्व निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने हेतु और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए राज्य आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करता था। यह पश्चिम बंगाल और केरल जैसी कुछ राज्य सरकारों की ओर से थोक वितरण प्रचालन भी कर रहा था। इन गतिविधियों और कार्य-निष्पादन के परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों के बीच कुछ वित्तीय लेन-देन हुआ था। इस प्रक्रिया में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों के बीच कुछ दावों और प्रतिदावों का आज तक निपटान नहीं हुआ है।

2. इन दावों के निपटान में इतना अंतराल होने और इन दावों और प्रतिदावों का शीघ्र निपटान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक स्थायी समिति का गठन करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे और इसके विचारणीय मुद्दे अगले पैराग्राफों में दिए गए हैं :—

अध्यक्ष

1. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

सदस्य

2. प्रबन्धक निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम

3. संयुक्त सचिव (नीति),
खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग

4. निदेशक (वित्त),
खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

5. संबंधित राज्य सरकार के सचिव (खाद्य)

सदस्य-सचिव

6. निदेशक/उप सचिव
(भारतीय खाद्य निगम)
खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग

प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य के सचिव (खाद्य), जहां कहीं आवश्यक समझते हों, समिति की चर्चा में भाग लेने अथवा समिति का कार्यनिष्पादन करने में उसकी सहायता करने में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/राज्य एजेंसियों के किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकते हैं।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

1. खाद्यान्नों के कारोबार से संबंधित निगम के किसी निपटान न किए गए दावों और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों के प्रति-दावों से संबंधित आंकड़ों/दस्तावेज एकत्र करना और उनको छानबीन करना और यथासंभव/व्यवहार्य समय में संबंधित एजेन्सी/प्राधिकारी द्वारा देय राशि के संबंध में सिफारिशें देना ताकि पुराने बकाया दावों और प्रति दावों का निपटान अविलम्ब सौहार्दपूर्ण रूप से किया जा सके।

2. किसी अन्य प्रासंगिक मामले अथवा समिति के काम के साथ जुड़े मामले, चाहे यह दोनों में से किसी भी पार्टी द्वारा भेजा गया हो अथवा न भेजा गया हो, को देखने और इसके संबंध में सिफारिश करना।

4. समिति की सिफारिशें सभी पार्टियों पर लागू होंगी और संबंधित पार्टी (पार्टियों) द्वारा इनका एक माह की अवधि के अन्दर अनुपालन किया जाना होगा।

5. यह समिति एक माह में कम से कम एक बैठक करेगी और अपनी मासिक रिपोर्ट सचिव, खाद्य और नागरिक पूर्ति को प्रस्तुत करेगी तथा इसकी प्रति अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भेजेगी जिसमें रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान यह अपनी मुख्य-मुख्य उपलब्धियों का उल्लेख करेगी ।

6. समिति को सचिवीय सहायता भारतीय खाद्य निगम द्वारा मुहैया की जाएगी । यदि समिति ऐसे स्थान पर बैठक करती है जहां भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय नहीं है वहां इस प्रकार की सहायता संबंधित राज्य सरकार द्वारा मुहैया की जाएगी ।

7. अध्यक्ष और केन्द्रीय सरकार/भारतीय खाद्य निगम से संबंधित अन्य सदस्यों के टी. ए./डी. ए. के कारण हुआ खर्च भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों से संबंधित सदस्यों/अधिकारियों के संबंध में यह खर्च राज्य सरकार/उनकी एजेंसियों द्वारा वहन किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेज दी जाए :—

भारतीय खाद्य निगम, सभी राज्यों की सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्य ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचनार्थ यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सत्य नारायण गुप्त
अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD & CONSUMER AFFAIRS
(DEPARTMENT OF FOOD & CIVIL SUPPLIES)

New Delhi, the 28th August 1997

RESOLUTION

No. 194(2)/97-FC-A/CS.—The Food Corporation of India, functioning as the nodal agency of the Central Government in the Department of Food and Civil Supplies for the purpose of execution of food policies of the Government, is required to undertake functions like purchase, storage, movement, transport distribution and sale of foodgrains and other food stuffs on behalf of the Central Government. Prior to 1975, the Corporation used to deliver foodgrains to various State Governments and their agencies for distribution through PDS and for other welfare schemes on credit basis. It had also been undertaking wholesale distribution operations on behalf of some of the State Governments like, West Bengal and Kerala. As a result of these activities and functions, certain financial transactions took place between the Food Corporation of India and the State Governments/State agencies. In the process, some claims and counter claims between the Food Corporation of India and the State Governments/State agencies have remained unresolved till date.

2. In consideration of the time lag in settlement of these claims and with a view to expediting settlement of these claims and counter claims, the Government of India have decided to constitute with immediate effect a Standing Committee comprising the following with the terms of reference mentioned in the succeeding para :—

CHAIRMAN

1. Addl. Secretary & Financial Adviser, Ministry of Food & Consumer Affairs.

MEMBERS

2. Managing Director, FCI
3. Joint Secretary (Policy), Deptt. of Food & Civil Supplies.
4. Director (Finance), Ministry of Food & Consumer Affairs.
5. Secretary (Food) of the concerned State Government.

MEMBER-SECRETARY

6. Director/Deputy Secretary (FCI), Deptt. of Food & Civil Supplies.

Managing Director, Food Corporation of India and the Secretary (Food) of the concerned State may also co-opt where-ever necessary any other officer(s) of the Food Corporation of India and the State Government/State agencies respectively for participating in the deliberations of the Committee or assisting the Committee in performing its task.

3. The terms of the reference of the Committee will be as follows :—

(i) To collect and shift data/documents relating to any unsettled claims of the Corporation and counter claims of the State Governments and their agencies relating to food transactions and make recommendations about the amount payable by the concerned agency/authority as soon as possible/feasible so that the old outstanding claims and counter claims are settled amicably without further delay.

(ii) To look into any other matter incidental to or connected with the work of the Committee whether referred to it by either of the parties or not and making recommendations with regard thereto.

4. The recommendations of the Committee shall be binding on all parties and will be complied with within a period of one month thereof by concerned party(s).

5. The Committee shall meet at least once a month and also shall submit monthly reports to the Secretary, Food and Civil Supplies with a copy each to the Chairman, Food Corporation of India and Chief Secretary of the concerned State Government highlighting its achievements during the period under report.

6. Secretarial assistance to the Committee shall be provided by the FCI. If the committee meets at a place where FCI does not have its office, similar assistance will be provided by the State Government concerned.

7. Expenditure on account of TA/DA of the Chairman and other Members of the Committee belonging to the Central Government/FCI will be borne by the FCI and in respect of Members/Officers belonging to the State Governments/their agencies by the State Governments/their agencies.

ORDER

ORDER that a copy of the resolution be communicated to :—

The Food Corporation of India, Governments of all States/Union Territories (Administration) and all the Members of the Committee including its Chairman.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. N. GUPTA,
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1997